उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-43/2018/एस-2-1975/दस-2018-88क(1)/2018

लखनऊ :: दिनॉक:: 21 अगस्त,2018

कार्यालय-आदेश

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहॉं स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री महेन्द्र कुमार भट्ट अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।	वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2	श्री धर्मेन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, वित्त अधिकारी, राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद। (उक्त के साथ-साथ वित्त अधिकारी, राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा वित्त अधिकारी, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के देखते रहेंगे)

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी, अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

संख्या-43/2018/एस-2-1975(1)/दस-2018-88क(1)/2018,तददिनॉक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग,उ0प्र0 शासन।
2- कुल सचिव, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3- कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
4- कुल सचिव, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद/सहारनपुर।
6- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
7- जिलाधिकारी, इलाहाबाद/सहारनपुर।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

8- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

9- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

10- मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद/सहारनपुर/लखनऊ।

11- संबंधित अधिकारीगण ।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।